

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रुडु,  
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
खगड़िया/पूर्वी चम्पारण/पश्चिम चम्पारण/मुजफ्फरपुर/गया/सिवान/वैशाली/कैमूर/पटना/  
सुपौल/मधुबनी/मधेपुरा/कटिहार/बाँका/नालंदा/गोपालगंज/सहरसा/मुंगेर/सारण/  
भागलपुर/पूर्णियाँ/नवादा/सीतामढ़ी।

पटना-15, दिनांक- 27/2/19

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष-2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष -02-बाढ़ -चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड-39-2245021010016 मद में कुल ₹2303.116 लाख (तेईस करोड़ तीन लाख ग्यारह हजार छः सौ रूपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष -2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष -02-बाढ़ -चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान के अन्तर्गत तृतीय अनुपूरक आगणन द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत।

उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान

भाग संख्या- 39 विस्तृत शीर्ष- 37-अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष- 01-अनुग्रह अनुदान  
(राशि रूपये लाख में)

क्र0	जिला का नाम	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	खगड़िया	466.949 (चार करोड़ छियासठ लाख चौरानवे हजार नौ सौ)	288.813 (दो करोड़ अठासी लाख इक्यासी हजार तीन सौ)	755.762 (सात करोड़ पचपन लाख छिहत्तर हजार दो सौ)
2	पूर्वी चम्पारण	257.203 (दो करोड़ सनतावन लाख बीस हजार तीन सौ)	144.173 (एक करोड़ चौवालीस लाख सतरह हजार तीन सौ)	401.376 (चार करोड़ एक लाख सैतीस हजार छः सौ)
3	पश्चिम चम्पारण	56.00 (छप्पन लाख)	32.00 (बत्तीस लाख)	88.00 (अठासी लाख)
4	मुजफ्फरपुर	972.17 (नौ करोड़ बहत्तर लाख सतरह हजार)	184.387 (एक करोड़ चौरासी लाख अड़तीस हजार सात सौ)	1156.557 (ग्यारह करोड़ छप्पन लाख पचपन हजार सात सौ)
5	गया	136.43 (एक करोड़ छत्तीस लाख तेतालीस हजार)	200.559 (दो करोड़ पचपन हजार नौ सौ)	336.989 (तीन करोड़ छत्तीस लाख अनठानवे हजार नौ सौ)
6	सिवान	180.30 (एक करोड़ अरसी लाख तीस हजार)	72.00 (बहत्तर लाख)	252.30 (दो करोड़ बावन लाख तीस हजार)
7	वैशाली	290.12 (दो करोड़ नब्बे लाख बारह हजार)	24.00 (चौबीस लाख)	314.12 (तीन करोड़ चौदह लाख बारह हजार)

8	कैमूर	212.919 (दो करोड़ बारह लाख इक्यानवे हजार नौ सौ)	12.00 (बीस लाख)	224.919 (दो करोड़ चौबीस लाख इक्यानवे हजार नौ सौ)
9	पटना	644.30 (छः करोड़ चौवालीस लाख तीस हजार)	240.127 (दो करोड़ चालीस लाख बारह हजार सात सौ)	884.427 (आठ करोड़ चौरासी लाख बेयालीस हजार सात सौ)
10	सुपौल	208.00 (दो करोड़ आठ लाख)	56.90 (छप्पन लाख नब्बे हजार)	264.90 (दो करोड़ चौसठ लाख नब्बे हजार)
11	मधुबनी	304.987 (तीन करोड़ चार लाख अनठानवे हजार सात सौ)	48.127 (अड़तालीस लाख बारह हजार सात सौ)	353.114 (तीन करोड़ तिरपन लाख ग्यारह हजार चार सौ)
12	मधेपुरा	369.41 (तीन करोड़ उनहत्तर लाख इकतालीस हजार)	92.514 (बानवे लाख इक्यावन हजार चार सौ)	461.924 (चार करोड़ इकसठ लाख बानवे हजार चार हजार)
13	कटिहार	233.75 (दो करोड़ तेतीस लाख पचहत्तर हजार)	120.30 (एक करोड़ बीस लाख तीस हजार)	354.05 (तीन करोड़ चौवन लाख पाँच हजार)
14	बाँका	144.00 (एक करोड़ चौवालीस लाख)	16.00 (सोलह लाख)	160.00 (एक करोड़ साठ लाख)
15	नालंदा	749.583 (सात करोड़ उनचास लाख अनठावन हजार तीन सौ)	244.901 (दो करोड़ चौवालीस लाख नब्बे हजार एक सौ)	994.484 (नौ करोड़ चौरानवे लाख अड़तालीस हजार चार सौ)
16	गोपालगंज	144.00 (एक करोड़ चौवालीस लाख)	84.00 (चौरासी लाख)	228.00 (दो करोड़ अठाईस लाख)
17	सहरसा	494.666 (चार करोड़ चौरानवे लाख छियासठ हजार छः सौ)	64.215 (चौसठ लाख इक्कीस हजार पाँच सौ)	558.881 (पाँच करोड़ अनठावन लाख अठासी हजार एक सौ)
18	मुंगेर	293.456 (दो करोड़ तिरानवे लाख पैतालीस हजार छः सौ)	12.00 (बारह लाख)	305.456 (तीन करोड़ पाँच लाख पैतीस हजार छः सौ)
19	सारण	376.381 (तीन करोड़ छिहत्तर लाख अड़तीस हजार एक सौ)	88.00 (अठासी लाख)	464.381 (चार करोड़ चौसठ लाख अड़तीस हजार एक सौ)
20	भागलपुर	912.00 (नौ करोड़ बारह लाख)	5.20 (पाँच लाख बीस हजार)	917.20 (नौ करोड़ सतरह लाख बीस हजार)
21	पूर्णियाँ	400.00 (चार करोड़)	152.90 (एक करोड़ बावन लाख नब्बे हजार)	552.90 (पाँच करोड़ बावन लाख नब्बे हजार)
22	नवादा	124.00 (एक करोड़ चौबीस लाख)	8.00 (आठ लाख)	132.00 (एक करोड़ बत्तीस लाख)
23	सीतामढ़ी	204.301 (दो करोड़ चार लाख तीस हजार एक सौ)	112.00 (एक करोड़ बारह लाख)	316.301 (तीन करोड़ सोलह लाख तीस हजार एक सौ)
कुल योग		8174.925 (इक्यासी करोड़ चौहत्तर लाख बानवे हजार पाँच सौ)	2303.116 (तेईस करोड़ तीन लाख ग्यारह हजार छः सौ)	10478.041 (एक सौ चार करोड़ अठहत्तर लाख चार हजार एक सौ)

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 509 दिनांक 27.11.18 / पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 294 दिनांक 23.11.18 एवं 12 दिनांक 11.01.19 / पश्चिम चम्पारण के पत्रांक 84 दिनांक 12.11.18, 3 दिनांक 16.01.19, 5 दिनांक 25.01.19, 9 दिनांक 09.02.19, 10 दिनांक 11.02.19, 11 दिनांक 11.02.19 एवं 13 दिनांक 12.02.19 / मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1728 दिनांक 07.12.18 / गया के पत्रांक 4065 दिनांक 13.12.18, 4066 दिनांक 13.12.18, 4181 दिनांक 21.12.18, 4182 दिनांक 21.12.18, 4183 दिनांक 21.12.18, 3961 दिनांक 06.12.18, 4244 दिनांक 26.12.18, 4245 दिनांक 26.12.18, 292 दिनांक 22.01.19, 290 दिनांक 22.01.19, 293 दिनांक 22.01.19, 289 दिनांक 22.01.19, 291 दिनांक 22.01.19, 291 दिनांक 22.01.19, 294 दिनांक 22.01.19, 554 दिनांक 07.02.19, 552 दिनांक 07.02.19, 575 दिनांक 08.02.19, 574 दिनांक 08.02.19, 576 दिनांक 08.02.19, 578 दिनांक 08.02.

मुख्यशीर्ष- 2245-02-101-0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान पत्रांक 97 दिनांक 22/2/19

19, 577 दिनांक 08.02.19, 550 दिनांक 07.02.19, 553 दिनांक 07.02.19, 551 दिनांक 07.02.19, 547 दिनांक 07.02.19, 549 दिनांक 07.02.19, 548 दिनांक 07.02.19, 708 दिनांक 18.02.19, 705 दिनांक 18.02.19, 707 दिनांक 18.02.19, 689 दिनांक 18.02.19, 706 दिनांक 18.02.19, 709 दिनांक 18.02.19, 777 दिनांक 25.02.19, 775 दिनांक 25.02.19, 776 दिनांक 25.02.19, 778 दिनांक 25.02.19 एवं 779 दिनांक 25.02.19/सीवान के पत्रांक 994 दिनांक 31.12.18, 77 दिनांक 28.01.19, 76 दिनांक 28.01.19, 156 दिनांक 20.02.19, 157 दिनांक 20.02.19, 158 दिनांक 20.02.19 एवं 2 दिनांक 17.02.19/वैशाली के पत्रांक 53 दिनांक 16.01.19, 50 दिनांक 16.01.19, 51 दिनांक 16.01.19, 52 दिनांक 16.01.19, 49 दिनांक 16.01.19 एवं 39 दिनांक 12.01.19/कैमूर के पत्रांक 26 दिनांक 12.01.19/पटना के पत्रांक 122 दिनांक 21.01.19/सुपौल के पत्रांक 61-2 दिनांक 21.01.19, 1212-2 दिनांक 01.12.18, 97-2 दिनांक 05.02.19 एवं 142-2 दिनांक 22.02.19/मधुबनी के पत्रांक 39 दिनांक 21.01.19 /मधेपुरा के पत्रांक 37 दिनांक 19.01.19, 36 दिनांक 19.01.19, 35 दिनांक 19.01.19, 34 दिनांक 19.01.19, 33 दिनांक 19.01.19, 32 दिनांक 19.01.19, 31 दिनांक 19.01.19, 30 दिनांक 19.01.19, 29 दिनांक 19.01.19, 28 दिनांक 19.01.19, 27 दिनांक 19.01.19, 26 दिनांक 19.01.19, 25 दिनांक 19.01.19, 24 दिनांक 19.01.19, 23 दिनांक 19.01.19, 22 दिनांक 19.01.19, 21 दिनांक 19.01.19, 20 दिनांक 19.01.19, 69 दिनांक 14.02.19, 68 दिनांक 14.02.19, 67 दिनांक 14.02.19, 66 दिनांक 14.02.19, 65 दिनांक 14.02.19 एवं 64 दिनांक 14.02.19/कटिहार के पत्रांक 123 दिनांक 28.01.19/बाँका के पत्रांक 9 दिनांक 31.01.19 एवं 7 दिनांक 29.01.19/नालंदा के पत्रांक 112 दिनांक 29.01.19, 8 दिनांक 12.02.19, 6 दिनांक 14.02.19 एवं 197 दिनांक 25.02.19/गोपालगंज के पत्रांक 120 दिनांक 05.02.19/सहरसा के पत्रांक 96-2 दिनांक 11.02.19, 8-1 दिनांक 20.02.19, 9-1 दिनांक 20.02.19, 126-2 दिनांक 21.02.19, 7-1 दिनांक 20.02.19, 15-1 दिनांक 22.02.19, 12-1 दिनांक 22.02.19, 10-1 दिनांक 22.02.19, 18 1 दिनांक 22.02.19, 19-1 दिनांक 22.02.19, 17-1 दिनांक 22.02.19, 16-1 दिनांक 22.02.19, 14 1 दिनांक 22.02.19 एवं 13 1 दिनांक 22.02.19/मुंगेर के पत्रांक 87 दिनांक 04.02.19/सारण के पत्रांक 93 दिनांक 02.02.19 एवं 47 दिनांक 19.01.19/भागलपुर के पत्रांक 113 दिनांक 09.02.19 एवं 156 दिनांक 21.02.19/पूर्णियाँ के पत्रांक 53 दिनांक 21.01.19/नवादा के पत्रांक 28 दिनांक 17.01.19 एवं 47 दिनांक 01.02.19/सीतामढ़ी के पत्रांक 105 दिनांक 07.02.19 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभागीय अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.15, 1891/आ0प्र0 दिनांक 16.07.18 एवं 320/आ0प्र0 दिनांक 01.02.19 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि 'घटना राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी में ही आती है।' संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मृत व्यक्तियों के आश्रितों /घायलों /पशुमालिकों को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय।

5 आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2019 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 15.03.2019 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

मुख्यशोध- 2245-02-10: 0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान पत्रांक 97 दिनांक 27/2/19

- 12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।
- 13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त विभाग (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।
- 14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

*[Handwritten Signature]*

अपर सचिव

ज्ञापांक- 97 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 27/2/19  
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

*[Handwritten Signature]*

अपर सचिव

ज्ञापांक- 97 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 27/2/19  
प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*[Handwritten Signature]*

अपर सचिव

ज्ञापांक- 97 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 27/2/19  
प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*[Handwritten Signature]*

अपर सचिव

ज्ञापांक- 97 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 27/2/19  
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

*[Handwritten Signature]*

अपर सचिव

ज्ञापांक- 97 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 27/2/19  
प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट) / सांख्यिकी पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी (बजट) / कार्यवाह सहायक / आई0टी0 मैनेजर / प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*[Handwritten Signature]*

अपर सचिव

*[Handwritten Mark]*